Office Of The District Legal Services Authority, Deoghar

Phone No.06432-275496 Email; - deoghardlsa@gmail.com

DLSA/DEO/Letter No. 373 Dated: 06.04.2021

From: - Secretary,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

To,

The Deputy Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
Ranchi.

Ref.: - Letter No. JHALSA/928 dated 21.03.2016.

Sir,

In compliance of above letter No., I am sending herewith the required information regarding details of programmes and other activities of the District Legal Services Authority, Deoghar for the month of March, 2021 including the programme relating to Legal-aid to poor and number of beneficiaries of different categories and alternative dispute Resolution Mechanisms- ADR Centers, Permanent Lok Adalats / Lok Adalats. No. of cases disposed off, no. of Lok Adalat held etc. during the Month of March, 2021.

Activities of DLSA, Deoghar for the month of March, 2021.

Legal-aid Beneficiaries

Sl. No	Month	No. of Persons benefited
1	March, 2021	03

Legal Awareness Camp

Sl. No	Month	No. of Legal Awareness Camp	No. of Persons benefited in Awareness Camp
1	March, 2021	16	585

Lok Adalats (Monthly/ National/ Mega)

Sl. No	Month	Name of Lok Adalat	Date	Cases disposed (including pre-litigation)	Amount Settled (In Rs.)
1	March, 2021	Lok Adalat	27.03.2021	58	1,14,400/-
2		-	-	-	-

Jail Adalats

Sl. No	Date	No. Case disposed off	No. of Jail imprisoner released
1	21.03.2021	Nil	Nil

Activities at Mediation Centre for the month of March, 2021

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Unsettled / No Mediation	Pending
1	March, 2021	18	06	12	17

Activities at Permanent Lok Adalat for the month of March, 2021

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Pending
1	March, 2021	01	07	86

Activities in DLSA

- Sri Arvind Yadav, PLV, DLSA, Deoghar is participated in two days Training (phase II) of Master Trainer PLV(Child protection) on CPC formation and Strengthening to be held on 09.03.2021&10.03.2021
- 08.03.2021:- Legal Awareness Camp at Mohanpur block on the occasion of **"Women's Day".**
- 08.03.2021:- Legal Awareness Camp at Central Jail, Deoghar on the occasion of **"Women's Day".**
- **12.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Charkai Pahadi, Deoghar on Witch Practices.
- **12.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Lerwa Sarwan on Witch Practices and Child Marriage.
- **12.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Devpahri Sarwan on Witch Practices
- **12.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Baghmari Panchayat Gowal Bagiya on Child Labour.
- **12.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Patharchapti Madhupur.
- **12.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Dhekwa Karron on Child Labour, Witch Practices, Child Marriage.
- **15.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Dhengadih Karron on the occasion of Consumer Day
- **15.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Bharatidih Panchayat Fulkari, Devipur on the occasion of "Consumer Day".
- **15.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Devpahri Lakhoriya Panchayat, Sarwan on the occasion of "Consumer Day".
- **15.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Ghunariya Malanila, Sarwan on the occasion of "Consumer Day".
- **15.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Shanti Chowk, Sarath on the occasion of "Consumer Day".

- **15.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Fokleva Khijuriya, Sonaraithari on the occasion of "Consumer Day".
- **21.03.2021:-** Jail Adalat.
- **22.03.2021 to 26.03.2021:-** Special Drive Mediation of Family Court Matter in which Cases Received **-90**…..Cases Settled…**41** Cases Unsettled…**12**..
- **22.03.2021:-** Legal Awareness Camp at Angan Bari Kendra , Pahridih, Panchayat Simalgarha, Palajori.
- **22.03.2021:-** Oath taking ceremony on the occasion of "World Water Day" with a slogan " Jal Bachayenge Jivan Bachayenge" by PLV namely Sri Arvind Yadav.
- **27.03.2021:-** Lok Adalat.

All PLVs are being aware to the people of Deoghar District about pandemic of COVID-19.

- The people of Deoghar District inspired to use of Mask and Sanitizer by PLVs.
- Mask and Sanitizer are being distributed amongst the needy people by the PLVs.
- PLVs are helping to provide food items to the needy people.

Sincerely yours,
Sd/-
Secretary,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

Encl: - Photo copy of news paper cuttings.

वर्चुअल जेल अदालत 21 मार्च को

देवघर. झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में वर्चुअल जेल अदालत का आयोजन 21 मार्च को सुबह 11.30 बजे किया जायेगा. इस मौके पर बंदियों के मामलों की सुनवाई की जायेगी. साथ ही न्यायिक पदाधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी जानकारी दी जायेगी. इसकी तैयारी की जा रही है. इस आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्र ने दी है.

प्रभात खबर 17/3/2021

13.03.2021 प्रभात खबर

विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

मधुपुर . झालसा रांची के निर्देश पर अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एसडीजेएम रवि नारायण के निर्देश पर शहर के पथलचपटी आदिवासी टोला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में पैनल अधिवक्ता दीपक कुमार व प्रमोद कुमार वर्मा ने ग्रामीणों को कानून संबंधी जानकारी दी. बताया कि समाज में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कड़े कानून बनाये गये है. बाल विवाह कानून अपराध है. इससे बचे और बालिग होने के बाद ही ग्रामीण अपने बच्चों का विवाह करें. उन्होंने कहा कि अभी अधिकतर देखा जा रहा है कि बाल मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्र के लोग ईट भट्टा में काम करने में लगा देते है. जो सरासर गलत है और वैसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार एक त्रासदी है. जिसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए समाज को सचेत व जागरूक होना पड़ेगा. वहीं मानव तस्करी, वन अधिकार अधिनियम कानून के संबंध में जानकारी दी गयी. मौके पर पैनल अधिवक्ता प्रणय कुमार सिन्हा समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे.

प्रभात खबर 22/03/21

जेल अदालत में बंदियों को दी कानूनी जानकारी

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को केंद्रीय कारा देवघर में वर्चुअल जेल अदालत का आयोजन किया गया. इस अवसर पर एसीजेएम अवर न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि बंदियों के कई कानूनी अधिकार हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी बंदी को अगर कानूनी सहायता की जरूरत है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे मुकदमों का निबटारा सुलह समझौता के आधार पर करें व केस मुकदमा के झंझट से हमेशा दूर रहें. बंदियों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता एक मरीक ने कहा कि जो भी बंदी जेल से बाहर निकलें, तो बदले की भावना नहीं रखें. एक अच्छे नागरिक बन कर बाहर निकलें. अधिवक्ता अनिता चौधरी ने कहा कि अपने बाल बच्चों को शिक्षित करें ताकि अंधविश्वास से समाज को निजात दिला सकें. जेल अदालत में जेल सुपरिटेंडेंट, कारापाल, डालसा के कर्मी संजय कुमार सिन्हा, अवधेश कुमार, प्रदीप कुमार आदि मौजूद थे. शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्र के निर्देश पर हुआ.

10 को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए किया जा रहा जागरूक

विधि संवाददाता, देवघर

झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से देवघर न्याय मंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल को होने जा रहा है. यह अदालत सुबह साढ़े आठ बजे से होगी, जिसमें सुलहनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस के केस, बैंक ऋण के मुकदमे, क्लेम केस, वैवाहिक विवाद, श्रम विभाग के मुकदमे, भू-अर्जन के मामले, बिजली, पानी के बिल संबंधी मामले, राजस्व से संबंधित केस, मालगुजारी, वन विभाग, उत्पाद विभाग, माप तौल, बिजली चोरी आदि के मुकदमों का निष्पादन दोनों पक्षों की सहमति से किया जायेगा. इसके प्रचार प्रसार एवं लोगों को सुलह की ओर प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है. डालसा से जुड़े पीएलवी शहर के अलावा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री लिटीगेशन एवं लंबित मुकदमों के निष्पादन का आग्रह कर रहे हैं.

कहते हैं डालसा सचिव

राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को होने जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों का निष्पादन पक्षकारों की सहमति से किया जायेगा. अधिक से अधिक मुकदमों के निष्पान का लक्ष्य रखा गया है. इसे सफल बनाने के लिए पक्षकारों को नोटिस विभिन्न माध्यमों से पहुंचाया जा रहा है.

- प्रताप चंद, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर

प्रभात खबर 9/4/2021

चरकी पहाड़ी गांव में विधिक जागरूक कार्यक्रम का हुआ आयोजन

झारखंड (देवघर)। देवघर के चरकी पहाड़ी गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर के तत्वावधान में आदिवासी बहुल गांव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन पैनल अधिवक्ता फाल्गुनी मरीक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के तहत डायन प्रताड़ना के कानून एव कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के व संकल्प दिलाया गया। कानूनी पुस्त वितरित की गई। जागरूकता कार्यक्र ग्रामीणों में यदु बेसरा, गोपाल मुर्मू, हेंब्रम, चुनीलाल मुर्मू व दर्जनों ग्रा ने विधिक ज्ञान प्राप्त किया।

Aaj dinank 22.3.2021 ko jal bchane ke leye sapath liye jal bchayenge jiwan bchayenge plv - Arvind yadav 5:03 pm

पंचायत सचिवालय में मनाया जाएगा विश्व जल दिवस

सारठ/संवाददाता।

22 मार्च को सारठ में विश्व जल दिवस मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में डालसा के पीएलवी निवास चंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को सारठ पंचायत के पंचायत सचिवालय में विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। मौके पर स्थानीय बुद्धिजीवियों जनप्रतिनिधियों समाजसेवियों के अलावा नागरिकों की भागीदारी रहेगी। बताया कि विश्व जल दिवस मानव जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण के अच्छे प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। ग्रामीणों द्वारा प्रकृति के दोहन को रोकने और जल संरक्षण का संकल्प लेंगे और वृक्ष तथा पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रति हमें सजग होकर इसके क्षय को रोकना होगा ताकि विश्व जल संसाधन की रक्षा हो सके। बताया कि पर्यावरण, स्वस्थ कृषि और व्यापार सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जल की महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मौके पर जितेन्द्र प्रसाद साह, सुमित कुमार सिंह, बिट्टू साह, ज्ञान सिंह, कंचन कुमार मंडल, दीनदयाल मंडल, राजेश पंडित समेत अन्य कई लोग मौजूद थे।

इंडियन पंच सारठ

+91 83405 00365 @ Press(DLSA, Deoghar)
3/13/2021 at 2:29 PM

डालसा ने चलाया जागरूकता अभियान

देवघर (आससे)। देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बिहार की सीमा पर स्थित देवघर जिला के आदिवासी बहुल गांव [illegible]

शपथ पत्र

[illegible]

[illegible]

फोटो

चुनाव [illegible]

आज13मार्च

Anita @ Press(DLSA, Deoghar)
3/13/2021 at 12:26 AM

लेढ़वा प्रखंड में किया गया कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

झारखंड (देवघर)। आदिवासी ग्राम लेढ़वा प्रखंड, सारवां, जिला देवघर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अधिवक्ता राजीव रंजन महतो की देखरेख में किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को बाल विवाह अपराध अधिनियम व डायन प्रथा की विस्तृत जानकारी दी गई। ग्रामीणों में जीतू हांसदा, समर हांसदा, पनवती देवी, कुलदीप हांसदा व दर्जनों ग्रामीणों ने कानूनी ज्ञान प्राप्त किया। ग्रामीणों को कानूनी पुस्तकें भी वितरित की गई।